1335 6/1/20

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

971

~~प्रार्थना~~ पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट मु.नं. 124 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मंजूर अली पुत्र मुमताज अली से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृश्टिगत रखते हुए प्रार्थी मंजूर अली ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सुजानगढ ग्रामीण व सहायक ऑफिस कानूनगो व तहसीलदार सुजानगढ ने उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को भेजकर धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त पटवारी व सहायक ऑफिस कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता संख्या 523 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–	2019 00262

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविश्टि (अशुद्ध प्रविश्टि)	आदे T (शुद्ध प्रविश्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	सुजानगढ ग्रामीण	523 526	(1) मंजूर अली वल्द मुमताज निवासी सुजानगढ ग्रामीण	(1) मंजूर अली वल्द मुमताज अली निवासी लाडनूं

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

10/12/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:32:07 IST
Reason: SelfAttested